

प्रेस, नयितकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधियक, 2023

प्रलम्ब के लिये:

प्रेस और पुस्तकों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867, मेटकाफ अधिनियम, जॉन एडम्स द्वारा लाइसेंसिंग विनियम।

मेन्स के लिये:

भारत में प्रेस विनियमन, प्रेस की मुख्य विशेषताएँ और नयितकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधियक, 2023

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा ने [प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867](#) के औपनिवेशिक युग के कानून को नरिस्त करते हुए प्रेस, नयितकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधियक, 2023 पारित किया।

- यह विधियक अगस्त 2023 में राज्यसभा द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका है।

प्रेस, नयितकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधियक, 2023 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- पत्रिकाओं का रजिस्ट्रीकरण:** यह विधियक पत्रिकाओं के रजिस्ट्रीकरण का प्रावधान करता है, जिसमें सार्वजनिक समाचार या सार्वजनिक समाचार पर टिप्पणियों वाला कोई भी प्रकाशन शामिल है।
 - पत्रिकाओं में **कतिबे या वजिज्ञान से संबंधित और अकादमिक पत्रिकाएँ** शामिल नहीं हैं।
 - जबकि अधिनियम समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों के रजिस्ट्रीकरण का प्रावधान करता है। इसने पुस्तकों की सूचीकरण की भी व्यवस्था की।
 - पुस्तकों को विधियक के दायरे से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि एक विषय के रूप में पुस्तकों का प्रबंधनमानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- प्रकाशनों हेतु रजिस्ट्रीकरण प्रोटोकॉल:** विधियक अवधिक प्रकाशकों को प्रेस रजिस्ट्रार जनरल और नरिदष्टि स्थानीय प्राधिकरण के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण करने में सक्षम बनाता है।
 - इसके अलावा **आतंकवाद या राज्य सुरक्षा** के खिलाफ कार्रवाई के दोषी व्यक्तियों के लिये किसी पत्रिका का प्रकाशन नषिदिध है।
 - जबकि अधिनियम में [ज़िला मजिस्ट्रेट](#) को एक घोषणा पत्र देना अनिवार्य था, जिसे इसे समाचार पत्र प्रकाशन के लिये प्रेस रजिस्ट्रार के पास भेजना था।
- वदिशी पत्रिकाएँ:** भारत के भीतर वदिशी पत्रिकाओं के मुद्रण के लिये **केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन** की आवश्यकता होती है। ऐसी पत्रिकाओं के पंजीयन के लिये वशिष्ट प्रोटोकॉल की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
- प्रेस महा-रजिस्ट्रार:** यह विधियक भारत के प्रेस महा-रजिस्ट्रार की भूमिका की व्याख्या करता है, जो सभी पत्रिकाओं के लिये रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने हेतु उत्तरदायी है।
 - इसके अतिरिक्त उसके कर्तव्यों में पत्र-पत्रिकाओं के रजिस्ट्रार बनाए रखना, पत्र-पत्रिकाओं के शीर्षकों के लिये दशिा-नरिदेश स्थापित करना, परिचालन आँकड़ों की पुष्टि करना तथा रजिस्ट्रीकरण संशोधन, नलिबन एवं रददीकरण का प्रबंधन करना शामिल है।
- मुद्रण प्रेस रजिस्ट्रीकरण:** प्रतिगि प्रेस से संबंधित घोषणाएँ अब [ज़िला मजिस्ट्रेट](#) के समक्ष की गई घोषणाओं की आवश्यकता से हटकर प्रेस महारजिस्ट्रार को ऑनलाइन जमा की जा सकती है।
- रजिस्ट्रीकरण का नलिबन तथा रदद करना:** प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास भ्रामक सूचना प्रस्तुत करने, प्रकाशन में रुकावट अथवा अनुचित वार्षिक ववरिण प्रदान करने सहित वभिन्नि कारणों से किसी पत्रिका के रजिस्ट्रीकरण को न्यूनतम 30 दिनों (180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है) के लिये नलिबित करने का अधिकार है।
 - इन मुद्दों को हाल करने में वफिलता के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकरण रदद किया जा सकता है।
 - रदद करने के अन्य आधारों में अन्य पत्रिकाओं के साथ शीर्षकों की समानता अथवा स्वामी/प्रकाशक द्वारा आतंकवाद अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के वरिद्ध कृत्यों से संबंधित दोषसदिधि शामिल है।

- **दंड और अपील:** यह वधियक महारजसिद्दार को अपंजीकृत पत्र-पत्रिका प्रकाशन अथवा नरिदषिट समय-सीमा के भीतर वार्षिक वविरण प्रसुतुत करने में वफिलता के लयि जुरमाना लगाने का अधकिार देता है।
 - इन नरिदेशों का पालन न करने पर छह महीने तक की कैद हो सकती है।
 - इसके अतरकिरुत रजसिद्रीकरण प्रमाणपत्रों को असुवीकार करने, रजसिद्रीकरण के नलिंबन/रददीकरण अथवा लगाए गए दंड के वरिदुध अपील के प्रावधान प्रेस और रजसिद्रीकरण अपीलीय बोर्ड के समक्ष अपील दायर करने के लयि 60 दनियों की अवध के साथ उपलब्ध है।

प्रेस वनियिमन से संबंघति अन्य सुवतंतुरता-पूरुव कानून क्या हैं?

- **लॉर्ड वेलेज़ली (वर्ष 1799) के तहत सेंसरशपि:** फ्राँसीसी आक्रमण की आशंकाओं के कारण पूरुव-सेंसरशपि सहति सखुत युदुधकालीन प्रेस नयितरण लागू किया गया।
 - बाद में सन् 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा प्री-सेंसरशपि हटाकर इसमें ढील/छूट दी गई।
- **जॉन एडम्स द्वारा लाइसेंसिंग वनियिम (1823):** बनिा लाइसेंस के प्रेस शुरू करने या संचालति करने के लयि दंड का प्रावधान किया गया, जसिे बाद में बढ़ाते हुए वभिनिन प्रकाशनों पर लागू कर दिया गया।
 - मुख्य रूप से भारतीय भाषा के समाचार पत्रों या भारतीयों के नेतृत्व वाले समाचार पत्रों को नशिाना बनाया गया, जसिके कारण राममोहन राय का मरिात-उल-अकबर बंद हो गया।
- **प्रेस अधनियिम, 1835 (मेटकाफ अधनियिम):** प्रतबिंधातुमक 1823 अध्यादेश को नरिसुत कर दिया गया, जसिसे मेटकाफ को "भारतीय प्रेस के मुकुतदाता" की उपाधी मिली।
 - मुद्रकों/प्रकाशकों द्वारा अपने परसिर के बारे में सटीक घोषणाएँ करना अनवारिुय की गई और आवश्यकतानुसार समापुतकी अनुमतदी गई।
- **वर्ष 1857 के वदिरोह के दौरान लाइसेंसिंग अधनियिम:** 1857 के आपातकाल के कारण आगे लाइसेंसिंग प्रतबिंध लगाए गए।
 - मौजूदा रजसिद्रीकरण प्रक्रयियों को सुवरुधति किया गया, जसिसे सरकार को कसिी भी मुद्रति सामग्री के प्रसार को रोकने की शकुर्ति मलि गई।
- **वरुनाकुयूलर प्रेस अधनियिम, 1878:** इसे वरुनाकुयूलर प्रेस को वनियिमति करने, राजद्रोह से संबंघति लेखन को प्रतबिंधति करने और वभिनिन समुदायों के बीच कलह को रोकने के लयि ङजिाइन किया गया।
 - स्थानीय समाचार पत्रों के मुद्रकों और प्रकाशकों को सरकार वरिेधी या वभिजनकारी वषियों का प्रसार करने से परहेज के लयि एक बॉण्ड पर हसुताक्षर करने की मांग की गई।
 - मजसिद्रेट द्वारा लयि गए नरिणय न्यायालय में अपील के कसिी भी अवसर के बनिा अंतमि होते थे।
- **समाचार पत्र (अपराधों को उकसाना) अधनियिम, 1908:** हसिा या हतुया को उकसाने, आपतुतजिनक वषिय-वसुतुओं को प्रकाशति करने वाली प्रेस संपतुतयियों को ङबुत करने के लयि मजसिद्रेटों को अधकिार दिया गया।
 - उग्र राषुट्रवादी नेता बाल गंगाधर तलिक को राजद्रोह के आरोपों का सामना करना पड़ा और उन्हें मांडले ले जाया गया, जसिसे व्यापक वरिेध और हड़ताल के घटनाएँ हुईं।
- **भारतीय प्रेस अधनियिम, 1910:** स्थानीय सरकार रजसिद्रीकरण के समय सुरक्षा की मांग कर सकती थी, उल्लंघन करने वाले समाचार पत्रों को दंडति कर सकती थी और ङाँच के लयि नशिुलक प्रतयियों की मांग कर सकती थी।
 - वरुनाकुयूलर प्रेस अधनियिम के समान कड़े नयिम लागू करके प्रेस की सुवतंतुरता को बाधति किया गया।